दिवंगत बीमितों के आश्रितों को आजीवन मासिक पेंशन

योजना

- कोरोना से मृत ईएसआईसी के बीमितों को बड़ी राहत
- राज्य में अब तक 211 प्रकरणों की दी गई मंजूरी

■ **नवभारत रिपोर्टर.** | रायपुर.
www.navabharat.news

कोरोना से मृत ईएसआईसी हितग्राहियों के आश्रितों के लिए प्रारंभ की गई ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना के अंतर्गत राज्य में अभी तक करीब 211 प्रकरणों में आजीवन पेंशन स्वीकृत की गई है. इसके अंतर्गत अभी तक 78,72,693 रुपए मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जा चुका है. इससे 800 आश्रित लाभान्वित हुए. बीमितों के आश्रितों को क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी के हाथों आजीवन मासिक पेंशन पत्र प्रदान किया गया. इस दौरान सहायक निदेशक हितलाभ एवं सहायक निदेशक जनसंपर्क मौजूद थे.

पेंशन की पात्रता इन लोगों को - पेंशन की पात्रता के लिए जिस कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई है, उसकी कोरोना पुष्टि होने की तारीख से कम से कम 3 माह पहले निगम के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत होना एवं संक्रमित होने के दौरान सेवा में होना ■ **शेष पेज 2 पर**